फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

4-06-2013 विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–5–28/2013 में आवेदक श्री जमीउल्लाह खाँ, पिता–स्व0 हनीफ खाँ, सा0–मेसर्स जे0 के0 वस्त्रालय, एम0डी0 न्यू पंजाब बैंड, सुलतानगंज, थाना– सुलतानगंज, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति को एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल में परिवर्तन के लिए प्राप्त आवेदन–पत्र पर सुनवाई हेतु दिनांक–04.06.2013 की तिथि निर्धारित की गयी एवं आवेदक को सूचित किया गया।

सुनवाई हेतु उक्त निर्धारित तिथि की सूचना का तामिला आवेदक को कराये जाने पर उनके द्वारा एक लिखित बयान अधोहस्ताक्षरी को दिनांक–31.05.2013 को भेजा गया, जिसमें अंकित किया गया कि उनके एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति को एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल में परिवर्तित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किए गए रिट याचिका सं0–21877/2012 में दिनांक–04.12.2012 को पारित आदेश के आलोक में उनके आवेदन पर उनकी उपस्थिति में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाना है।

उक्त आदेश के अनुपालन में आवेदक के द्वारा कार्यालय को समर्पित दिनांक–25.06.2008 के आवेदन, कार्यालय में संधारित शस्त्र पंजी एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। आवेदक के द्वारा आवेदन में अंकित किया गया है कि वे अपनी शस्त्र अनुज्ञप्ति पर एक एन0पी0बोर रायफल सं0–93 AB-2057 of .315 Bore I.O.F. धारण करते थे, परन्तु एकाएक पत्नी की बीमारी के कारण उनके द्वारा उक्त शस्त्र को बेच दिया गया। अब उनकी आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है और बिना शस्त्र के वे अपने एवं परिवार के जान–माल को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह भी अंकित किया गया है कि उनका क्षेत्र अपराधग्रस्त है। वैसी स्थिति में एक शस्त्र का होना अति आवश्यक है। छोटे शस्त्र को व्यापार के क्रम में लाने और ले जाने में कठिनाई नहीं होने का जिक्र करते हुए उनके द्वारा छोटे शस्त्र की आवश्यकता बतायी गयी है।

कार्यालय में संधारित शस्त्र पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को पूर्व में एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति वर्ष 1991 में ही निर्गत है और सम्प्रति छोटे

शस्त्र की आवश्यकता के मद्देनजर उनके द्वारा पूर्व में धारित शस्त्र की बिक्री भी की जा चुकी है, लेकिन अपनी अनुज्ञप्ति को उनके द्वारा अद्यतन नहीं कराया गया है।

अतएव सभी तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त आवेदक के द्वारा दिनांक 25.06.2008 को कार्यालय को समर्पित आवेदन में उनकी एक एन0पीबोर रायफल की अनुज्ञप्ति सं0–396/1991, थाना–सुलतानगंज को एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही आदेश दिया जाता है कि वे पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपनी शस्त्र अनुज्ञप्ति का अद्यतन नवीकरण कराते हुए मूल अनुज्ञप्ति को कार्यालय में उक्त विषयक प्रविष्टि हेतु समर्पित करना सुनिश्चित करेगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।